

कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : SCERT/शि०शि०सेवापूर्व/ 2134-35/विज्ञप्ति/दो-1(06)/2021-22, दिनांक 17 जून 2023

द्विवर्षीय डी०एल०एड० (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2020-21 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ०वि०शि०प०/डी०एल०एड०-2021/विज्ञप्ति 01/02/2022-23, दिनांक 06 अप्रैल 2022 द्वारा दिनांक 25 मई 2022 को आयोजित डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा 2020-21 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 01 अगस्त 2022 को घोषित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात् डायट्स में प्रवेश के उपरान्त रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु जनपद/डायट आवंटन एवं प्रवेश सम्बन्धी निर्देश SCERT की वेबसाइट <https://scertuk.gov.in> एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schoolseducation.uk.gov.in पर दिनांक 19 जून 2023 को अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक संबंधित डायट्स में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसका प्रवेश सबधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड

देहरादून

पृ०सं० : SCERT/शि०शि०सेवापूर्व/ 2134-35 /विज्ञप्ति/दो-1(06)/2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10x7 सेमी० के साइज में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे, जिसका प्रचार-प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद, जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में, इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।


अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड